

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईत्दादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 326/2024

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

नवरतन शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति- ब्राह्मण निवासी बोलांवाली, तह-संगरिया हाल आबाद-वार्ड सं. 19,
बाबा श्याम सिंह कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन जिला-हनुमानगढ (राज.)।

वादी

बनाम

1. शकुन्तला पत्नी ओमप्रकाश जाति-जाट निवासी -बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
3. अमर सिंह पुत्र देवी लाल जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
4. महेन्द्रपाल पुत्र देवी लाल जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ (राज.)
5. बलवन्त राम पुत्र गोपी राम (फौत)
- 5/1 शारदा पत्नी बलवन्त राम जाति-जाट, निवासी- बोलांवाली तह-संगरिया, जिला- हनुमानगढ
- 5/2 कमलजीत पुत्र बलवन्त राम जाति-जाट, निवासी- बोलांवाली, तह-संगरिया
- 5/3 सुमन बाला पुत्री बलवन्त राम जाति-जाट, निवासी- बोलांवाली, तह-संगरिया,
- 5/4 संतोष कुमारी पुत्री बलवन्त राम जाति-जाट, निवासी- बोलांवाली, तह-संगरिया।
- 5/5 पिकी रानी पुत्री बलवन्त राम जाति-जाट, निवासी- बोलांवाली, तह-संगरिया।
- 5/6 लक्ष्मी पुत्री बलवन्त राम जाति-जाट, निवासी बोलांवाली, तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
6. पूर्ण राम पुत्र गोपी राम जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ (राज.)।
7. ताराचन्द पुत्र गोपी राम जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ (राज.)।
8. सरोज पुत्री गोपी राम जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ (राज.)।
9. मनफूल पुत्र श्योलाल जाति-जाट निवासी-बोलांवाली तहसील-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
10. तहसीलदार राजस्व, संगरिया (राज.)

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 26.2.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई
रुबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री जानिब मुदायला पेश होकर
हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार
दी जाती है:- चक 7 एनटीडब्ल्यू

1. नवरतन शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा 0.045 है. हिस्सा जाति ब्राह्मण निवासी बाबा श्याम सिंह कॉलोनी वार्ड
संख्या 19 हनुमानगढ जं. प.न. 168/169 मु.न. 53 किला नं. 7/0.030 है. 14/0.015
2. सरोज पुत्री गोपीराम 22/329 हिस्सा, अमरसिंह पुत्र देवीलाल 71/329 हिस्सा, ताराचन्द पुत्र गोपीराम
40/329 हिस्सा, पूर्णराम पुत्र गोपीराम 40/329 हिस्सा, बलवन्तराम पुत्र गोपीराम (फौत वारिसान की
कब्जा) 40/329 हिस्सा, महेन्द्रपाल पुत्र देवीलाल 71/329 हिस्सा. जाति जाट सा. बोलावाली खातेदार प.
न 168/169 मु.न. 53 किला नं. 7/0.223 हे. 14/0.061 है.

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3. नवरतन शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा 1.265 हिस्सा जाति ब्राह्मण नि.बाबा श्याम सिंह कॉलोनी वार्ड सं. 19 हनुमानगढ़ जं. प.न. 168/168 मु.न. 46 किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 प.न. 168/169 मु.न. 53 किला नं. 4/0.253 है.
4. अमरसिंह पुत्र देवीलाल 600/3642 हिस्सा, ताराचन्द पुत्र गोपीराम 294/3642 हिस्सा, पूर्णराम पुत्र गोपीराम 294/3642 हिस्सा, बलवन्त राम पुत्र गोपीराम (फौत वारिसान की कब्जा) 294/3642 हिस्सा, महेन्द्रपाल पुत्र देवीलाल 600/3642 हिस्सा, सरोज पुत्री गोपीराम 295/3642 हिस्सा प.न. 168/169 मु.न. 53 किला नं. 5/0.253, 6/0.202, प.न. 169/168 मु.न.45 किला नं. 11/0.253, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.253, प.न. 169/169 मु.न. 54 किला नं. 1/0.253, 2/0.253, 9/0.025, 10/0.126

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/378 दिनांक 23.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....26.2.2024.....को खुले न्यायालय में जारी

किया गया।



(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
डिप्टी कमिश्नर
उपसंगरिया